न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश

वाद सं0 एम0 122 / 2022–23
धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

प्रथम पक्ष..... लीलावती देवी .... वगैरह
बनाम
द्वितीय पक्ष ..... विष्णु ओहदार .. वगैरह

21.1.23

वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं0 11/2022 दिनांक 08.10.2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** (1) लीलावती देवी उम्र 65 वर्ष पिता स्व0 लालु ओहदार (2) सुरेन्द्र ओहदार उम्र 40 वर्ष पिता पदुमन ओहदार उर्फ पादो ओहदार (3) सुगीया देवी उम्र 36 वर्ष पति सुरेन्द्र ओहदार तीनो ग्राम पंथा, थाना बसिया, जिला गुमला बनाम **द्वितीय पक्ष** (1) विष्णु ओहदार उम्र 55 वर्ष पिता स्व0 कंदरा ओहदार (2) गौरी देवी उम्र 50 वर्ष पति विष्णु ओहदार (3) रोहित ओहदार उम्र 24 वर्ष (4) राहुल ओहदार उम्र 19 वर्ष दोनो के पिता विष्णु ओहदार सभी ग्राम पंथा, थाना बसिया जिला गुमला के बीच मौजा पंथा के खाता सं0 53, प्लॉट सं0 198, रकबा 0.01 एकड़ भूमि चौहदी उत्तर में कंदरा ओहदार का बगान, दक्षिण में संगीता देवी का गाय सेड, पूरब में फलीन्द्र ओहदार का घर, पश्चिम में यदुनंदन ओहदार का बारी को लेकर आपसी विवाद एवं तनाव है जिसको लेकर उभय पक्षो के बीच शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो सकती है। थाना प्रभारी बसिया के प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है।

प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एंव दाखिल कागजात :–

प्रथम पक्ष नोटिस प्राप्त कर अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि प्रथम पक्ष की लिखित आवेदन के आधार पर बसिया थाना अप्राथमिकी सं. 11/2022 दिनांक 08.10.2022 धारा 144 द० प्र० स० के तहत कार्यवाही द्वितीय पक्ष के विरुद्ध लाया गया है। प्रथम पक्ष की ओर से किसी भी तरह की शान्ति भंग होने की संभावना नहीं है बल्कि द्वितीय पक्ष की ओर से कभी भी शान्ति भंग होने की प्रबल संभावना है। प्रथम पक्ष के निवासरत मकान को धंसा दिया तथा गिरा कर कठिनाई उत्पन्न कर रहे है। विवाद का मूल कारण मौजा पंथा, थाना बसिया, थाना नं. 123, जिला गुमला अंतर्गत खाता नं. 53, प्लॉट नं. 198, रकबा 0.01 एकड़ जमीन जिसका लगान रसीद कन्दरा ओहदार प्रथम पक्ष के ससुर के नाम से कटता है जो प्रथम पक्ष के परिवार की खरीदगी जमीन है। प्रथम पक्ष गाँव से बाहर गये हुए थे तब द्वितीय पक्ष के लोग धन बल

जन बल अन्य अज्ञात लोगों को साथ लेकर प्रथम पक्ष के मकान को ध्वस्त कर हड़पने के नियत से प्रथम पक्ष के स्थान पर नीव खोदकर मकान बनाने का प्रयास कर रहे है। द्वितीय पक्ष के लोग कानून को कुछ भी नहीं समझते है प्रथम पक्ष को हमेशा जान माल का भय बना रहता है। प्रथम पक्ष के एक ही वृद्ध महिला मकान में रहती है जो धन बल जन बल से कमजोर है। प्रथम पक्ष की वृद्ध अबला महिला होने के कारण हमेशा भय बना रहता है।

श्रीमान से नम्र प्रार्थना है प्रथम पक्ष के स्पस्टीकरण को स्वीकार करने की कृपा किया जाय और द्वितीय पक्ष के सदस्य गण के विरुद्ध द० प्र० स० की धारा 144 के अंतर्गत विवादित जमीन में जाने से रोक लगाया जाय। इस कार्य हेतु प्रथम पक्ष श्रीमान का सदा आभारी रहेंगे।

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 लगान रसीद की छाया प्रति
2 मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति
3 राशन कार्ड की छाया प्रति

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :–

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि यह कि प्रस्तुत वाद प्रथम पक्ष लीलावती देवी पति स्व० लालु ओहदार के आवेदन पर द्वितीय पक्ष विष्णु ओहदार व अन्य के विरूद्ध धारा 144 दं0प्र०सं० के तहत आरंभ की गई हैं जो द्वितीय पक्षों के विरुद्ध चलने योग्य नही हैं और खारिज करने लायक है। प्रस्तुत वाद जमीन अन्तर्गत मौजा– पंथा थाना – बसिया के खाता नं० – 43, प्लाट नं०– 198, रकबा – 1.13 एकड़ से संबंधित है जिसे द्वितीय पक्ष विष्णु ओहदार के पिता स्व० कन्दरा ओहदार रजिस्ट्री पट्टा सं0– 2983 दिनांक – 31.08.1970 को मोसमात रूपन तुरीन उर्फ बहरी तुरीन से खरीदगी प्राप्त किये है । प्रश्नगत जमीन द्वितीय पक्ष विष्णु ओहदार के पिता – कन्दरा ओहदार खरीदने के पश्चात् उक्त जमीन पर दखलकार हुए और सन् 1970 से उक्त जमीन पर काबिज हुए और उनके मरने के बाद उनके पुत्र विष्णु ओहदार और उनके वंशज वर्तमान मे दखल – कब्जा मे है और काबिज है। कन्दरा ओहदार क्रेता की वंशावली निम्न है :–

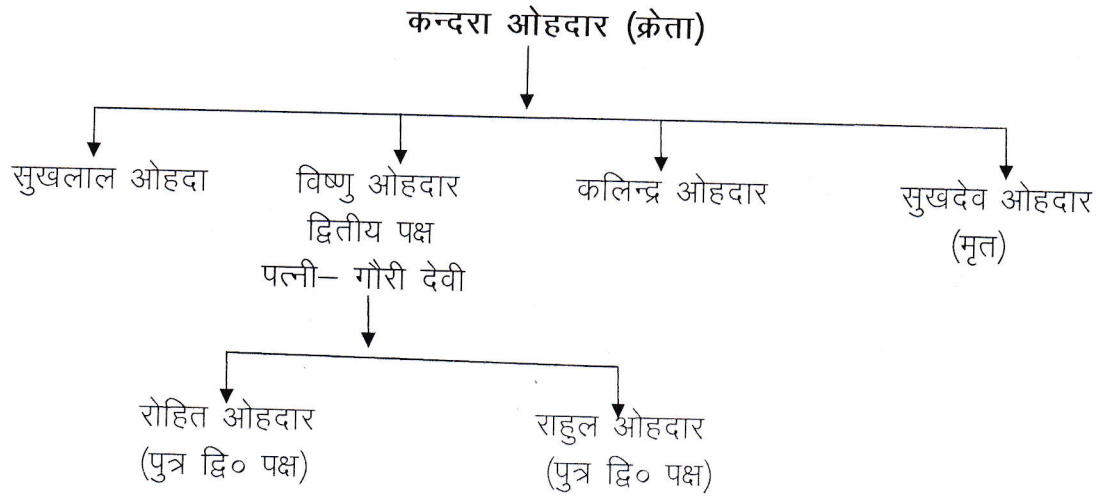

प्रश्नगत जमीन पर द्वितीय पक्ष के पूर्वज और वर्तमान मे द्वितीय पक्ष के सदस्यगण शांतिपूर्वक दखलकार कर खेती करते आ रहे है । उक्त जमीन का जमाबंदी भी द्वि० पक्ष विष्णु ओहदार के पिता कन्दरा ओहदार के नाम जमाबंदी कायम है जो भोलुम नं० 02 पेज नं0 257 पर दर्ज है। प्रथम पक्ष के सदस्य बिना हक व सरोकार के जबदस्ती बल पूर्वक उक्त जमीन पर दावा कर रहे है जिससे प्र० पक्ष के द्वारा उक्त जमीन को लेकर कभी भी कोई अप्रिय घटना कर सकते है । प्रथम पक्ष के सदस्य का क्रेता कन्दरा ओहदार से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है और बलपूर्वक बिना हक व सरोकार के द्वि० पक्ष के जमीन पर दावा कर रहे है ।

उपरोक्त वर्णित साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर श्रीमान् से अनुरोध है कि धारा 144 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही द्वितीय पक्ष के हित में विलुप्त करते हुए प्रथम पक्ष के विरूद्ध स्थिर किया जाय, जिसके लिए द्वितीय पक्ष श्रीमान् का सदा आभारी रहेगा।

द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 रजिस्ट्री पट्टा की छाया प्रति।
2 ऑनलाईन रसीद की छाया प्रति।

निष्कर्ष

उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिल लिखित जवाब, कागजात, बहस के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद्गत मौजा पंथा के खाता सं0 53, प्लॉट सं0 198, रकबा 0.01 एकड़ भूमि से संबंधित है।

विवाद स्वत्व को लेकर है। वर्तमान में शांति भंग होने की सूचना प्राप्त नहीं है। अतः बिना किसी गुण – दोष के वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.09.24 10:58:46 +05:30
Location: 192.168.1.4